

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म0प्र0)

**—:: संशोधित आदेश ::—**

क्रमांक 1667 / दो-11-05 / 2023

भोपाल, दिनांक 18.10.2023

प्रशासकीय कार्य व्यवस्था की दृष्टि से इस न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ होकर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापना निम्नानुसार की जाती है:—

क्रं	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	टिप्पणी
01.	श्री विष्णु सोनी सहायक ग्रेड-2	सिविल रीडर न्याया. इक्कीसवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (श्री जयंत शर्मा)	सिविल रीडर न्याया. इक्कीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भोपाल (श्रीमती लघुता मरकाम)	श्रीमती अनिता वर्मा के स्थान पर
02.	श्रीमती अमिता पाण्डे सहायक ग्रेड-2	क्रिमिनल रीडर न्याया. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल (श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव)	अटैच लिपिक नजारत अनुभाग तहसील बैरसिया	—
03.	श्रीमती पूनम चतुर्वेदी रीडर ग्रेड-1	सिविल रीडर न्याया. तेरहवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (श्रीमती शशिकांता वैश्य)	क्रिमिनल रीडर न्याया. तेरहवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (श्रीमती शशिकांता वैश्य)	—

**नोट:—**

- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1655 / दो-05 / 2023 दिनांक 17.10.2023 के सरल क्रमांक 06 पर उल्लेखित श्रीमती सपना वर्मा का स्थानांतरण निरस्त किया जाता है।
- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1655 / दो-05 / 2023 दिनांक 17.10.2023 के सरल क्रमांक 40 पर उल्लेखित श्रीमती अमिता पांडे का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

**यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल, (म0प्र0)

पु.क्रमांक 21130 /दो-11-05/2023  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 18.10.2023

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, तहसील बैरसिया,
2. तेरहवे /इक्कीसवे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
3. इक्कीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भोपाल
4. जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय, भोपाल,
5. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, भोपाल,
6. संबंधित कर्मचारी की ओर ईमेल के माध्यम से प्रेषित।
7. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल,
8. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर उक्त आदेश की प्रति बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु,
9. लेखापाल/वेतन लिपिक, कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, की ओर सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भोपाल, (म0प्र0)